

112

कार्यालय नजूल अधिकारी गोविन्दपुरा वृत्त भोपाल
(नजूल अनापत्ति प्रमाण-पत्र)

रण क्रमांक- 69 /बी121/वर्ष 2015-16

आदेश दिनांक 13/2/2016

आवेदिका श्रीमति गरिमा वाष्णोय पत्नी श्री राहुल वाष्णोय निवासी चित्रगुप्त कालोनी, अरेरा कालोनी भोपाल द्वारा ग्राम दामखेड़ा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 209/1/1/1/ज रकबा 0.106 हैक्टेयर भूमि का नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

2. राजस्व निरीक्षक/ तहसीलदार के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर कांडिका 1 वर्णित भूमि राजस्व अभिलेख ग्राम दामखेड़ा का खसरा वर्ष 2014-15 में आवेदिका का नाम दर्ज है। प्रश्नाधीन भूमि का व्यपवर्तन प्र.क्र. 97/अ-2/2004-05 दिनांक 04/10/2005 को हो चुका है। तथा वर्ष 1959 के खसरे में आवेदित भूमि अशासकीय भूमि के रूप में दर्ज थी।

अतः मध्यप्रदेश शासन नगरीय प्रशासन के परिपत्र क्रमांक 1176(17) यू-2 भोपाल दिनांक 14 फरवरी 1966 के तारतम्य में निम्न निर्देशों के साथ नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी जाता है:-

- (अ) आवेदक को नगर तथा निवेश विभाग से विकास अनुमति तथा अभिन्यास स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य करना होगा।
- (ब) आवेदित भूमि पर भवन निर्माण की अनुमति नगर निगम भोपाल से प्राप्त करनी होगी। तदोपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारंभ करना होगा।
- (स) मास्टर प्लान के निर्धारित मापदण्डों का पालन करना होगा।
- (द) भवन निर्माण हेतु जो भी अनुमतियां अन्य विभागों से प्राप्त करनी होती है वह प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारंभ करना होगा।

यह प्रमाण पत्र राजस्व अभिलेखों में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर जारी किया जा रहा है, जो निरन्तर परिवर्तनीय है, अस्तु यह प्रमाण पत्र स्वामित्व का दस्तावेज नहीं होगा।

इस प्रमाण पत्र में कोई काट छोट नहीं है यह अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल एक वर्ष तक वैध रहेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त की पूर्ती नहीं करने तथा उल्लंघन किये जाने पर यह प्रमाण पत्र शून्यवत मान जावेगा।

(अनापत्ति प्रमाण पत्र में सही प्रविष्टियां दर्ज की गई हैं)

राजस्व निरीक्षक
गोविन्दपुरा वृत्त भोपाल

तहसीलदार
गोविन्दपुरा वृत्त भोपाल

नजूल अधिकारी
गोविन्दपुरा वृत्त भोपाल (म.प्र.)

सत्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपि
कलेक्टर कार्यालय, भोपाल



कार्यालय नजूल अधिकासी गोविन्दपुरा वृत्त भोपाल

(नजूल अनापत्ति प्रमाण-पत्र)

प्रकरण क्रमांक- 67/बी12/वर्ष 2015-16

आदेश दिनांक 19/02/2017



1. आवेदिका श्रीमति संध्या अग्रवाल पत्नी श्री राकेश अग्रवाल निवासी- 25, छत्रसाल कालोनी, फेस-1 भोपाल द्वारा ग्राम दामखेड़ा स्थित भूमि सर्व क्रमांक 209/1/1/1/ज/1 रकबा 0.106 हैक्टेयर भूमि का नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।
2. राजस्व निरीक्षक/तहसीलदार के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर कांड़िका 1 वर्गित भूमि राजस्व अभिलेख ग्राम दामखेड़ा का खसरा वर्ष 2014-15 में आवेदिका का नाम दर्ज है। प्रजामीन भूमि का व्यापवर्तन प्र.क्र. 98/अ-2/2004-05 दिनांक 11/10/2005 को हो चुका है। तथा वर्ष 1959 के खसरे में आवेदित भूमि अशासकीय भूमि के रूप में दर्ज थी।

अतः मध्यप्रदेश शासन नगरीय प्रशासन के परिपत्र क्रमांक 1176(17) यू-2 भोपाल दिनांक 14 फरवरी 1966 के तारतम्य में निम्न निर्देशों के साथ नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी जाता है:-

- (अ) आवेदक को नगर तथा निवेश विभाग से विकास अनुमति तथा अभिन्यास स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य करना होगा।
 - (ब) आवेदित भूमि पर भवन निर्माण की अनुमति नगर निगम भोपाल से प्राप्त करनी होगी। तदोपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारंभ करना होगा।
 - (स) मास्टर प्लान के निर्धारित मापदण्डों का पालन करना होगा।
 - (द) भवन निर्माण हेतु जो भी अनुमतिपत्र अन्य विभागों से प्राप्त करनी होती है वह प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारंभ करना होगा।
- यह प्रमाण पत्र राजस्व अभिलेखों में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर जारी किया जा रहा है, जो निरन्तर परिवर्तनीय है, अस्तु यह प्रमाण पत्र स्वाभिव का दस्तावेज नहीं होगा। इस प्रमाण पत्र में कोई काट छोट नहीं है यह अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल एक वर्ष तक वैध रहेगा। उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त की पूर्ति नहीं करने तथा उल्लंघन किये जाने पर यह प्रमाण पत्र शून्यत्व मान जायेगा।

(अनापत्ति प्रमाण पत्र में सही प्रविष्टियां दर्ज की गई हैं)

24/2/16

तहसीलदार

गोविन्दपुरा वृत्त भोपाल

नजूल अधिकासी गोविन्दपुरा वृत्त भोपाल

